

दबाव के संदर्भ में छात्राध्यापकों के मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

डॉ० राजेश कुमार पाण्डेय

एसोसिएट प्रोफेसर

के०पी० ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद वि०वि०, इलाहाबाद

सारांश :

मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी मूलभूत अधिकारों से है, जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। वे अधिकार जो मानव के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। मानव अधिकार ही समाज में ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं जिससे व्यक्ति पूर्ण मानवीय गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करता है। शिक्षा व्यक्ति में अपने आसपास के परिवेश को नवीन दृष्टि के साथ समझने की योग्यता उत्पन्न करती है। शिक्षा की सहायता से समाज में परिवर्तन एवं विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में शिक्षा को मनुष्य के मूल अधिकारों में से एक अधिकार माना गया है। शिक्षक अपनी शिक्षण कला के माध्यम से बालक में ऐसे सभी गुण उत्पन्न करने का प्रयास करता है, जो एक आदर्श मानव के लिए आवश्यक हैं। एक अध्यापक में मानवीय संवेदना, सहिष्णुता, उत्तरदायित्व एवं अनुशासन आदि गुणों का होना आवश्यक है। हमारे वातावरण में अनेक ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति पर बलपूर्वक दबाव की स्थिति बनाये रखते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके कार्यों को प्रभावित करते हैं। अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि में छात्राध्यापकों (शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों) में सैद्धान्तिक पक्ष की तैयारी, अभ्यास-शिक्षण हेतु पाठ योजना बनाने एवं उसमें अध्यापक-शिक्षकों का समुचित सहयोग न मिल पाना आदि कारण उन पर 'दबाव' (Stress) उत्पन्न करते हैं, जो उनके कार्यों एवं अभिवृत्तियों को प्रभावित कर सकते हैं।

मुख्य भाव : मानवाधिकार, छात्राध्यापक, दबाव (Stress) अध्यापक-शिक्षा आदि।

भूमिका :

मानवाधिकार का सम्बन्ध उन सभी अधिकारों से है जो एक व्यक्ति को मानव के रूप में जीने के लिए अनिवार्य होते हैं, वे अधिकार जो उनमें मानव होने के नाते अन्तर्निहित हैं, वे अधिकार जो एक मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। मानवाधिकार मानव को स्वतन्त्रता, समानता व गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने में सहायता देते हैं (गुप्ता एवं टेकचन्दानी, 2004)। इनके अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास संभव नहीं है। इस प्रकार मानवाधिकारों के अन्तर्गत वे सभी अधिकार सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति को उसमें निहित मूल प्रवृत्तियों के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं (छाबडा एवं पारेख, 2004)। शिक्षा अपने आसपास के परिवेश को नई दृष्टि के साथ समझने की शक्ति देती है। शिक्षा को एक ऐसे उपकरण के रूप में भी मान्यता दी गई है, जिसकी सहायता से समाज में परिवर्तन व विकास के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में शिक्षा को प्रत्येक मनुष्य के मूल अधिकारों में से एक माना गया है (पाठक, 2005)। अध्यापक एक ऐसा कारीगर है जो अपनी शिक्षण कला के माध्यम से बालक में वे सभी गुण विकसित करने की चेष्टा करता है जो एक आदर्श मानव के लिए आवश्यक हैं। एक अध्यापक में मानवीय संवेदनाओं की समझ, सहिष्णुता, उत्तरदायित्व व अनुशासन आदि गुणों का होना आवश्यक है। वर्तमान

परिवेश अपेक्षाकृत अधिक तनाव और दबावपूर्ण होने से अधिक जटिल बन गया है। हमारे वातावरण में अनेक ऐसे सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तित्व सम्बन्धी कारक होते हैं जो व्यक्ति पर बलपूर्वक दबाव की स्थिति बनाये रखते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके कार्यों व अभिवृत्तियों को प्रभावित करते हैं (एस.सी.ई.आर.टी. 1992)। कोल मैन (1976) ने 'दबाव' को उन परिस्थितियों के रूप में परिभाषित किया है जिसके कारण व्यक्ति को समायोजन करना पड़ता है। अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों में सैद्धान्तिक पक्ष की तैयारी, पाठ योजना का निर्माण, अभ्यास शिक्षण तथा अध्यापक शिक्षकों का समुचित सहयोग न मिलना आदि कारणों से अध्यापक शिक्षा 'दबाव' उत्पन्न करती है! यह दबाव शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों के कार्यों एवं अभिवृत्तियों को प्रभावित कर सकता है। प्रस्तुत अध्ययन यह जानने के लिए किया गया है कि क्या उच्च व निम्न दबावग्रस्त छात्राध्यापकों के मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति में भिन्नता होती है।

परिकल्पना :-

उच्च व निम्न दबावग्रस्त शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों के मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध विधि :-

1. **प्रतिदर्श-प्रतिदर्श** के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 98 शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों का सप्रयोजन न्यादर्शन विधि से चयन किया गया।
2. **उपकरण**-प्रदत्त संकलन हेतु के. एस. मिश्र द्वारा निर्मित 'छात्राध्यापक दबाव मापनी' व 'मानवाधिकार अभिवृत्ति मापनी' का प्रयोग किया गया।
3. **प्रदत्त संकलन**-सर्वप्रथम चयनित छात्राध्यापकों से अध्ययन में सम्मिलित चरों से सम्बन्धित प्रदत्तों को संकलित किया गया। उच्च व निम्न दबावग्रस्त शिक्षक-प्रशिक्षणार्थी समूहों के निर्माण के लिए छात्राध्यापक दबाव मापनी पर छात्राध्यापकों के प्रथम व तृतीय चतुर्थांक की गणना की गयी जिन छात्राध्यापकों के अंक 112 या अधिक थे उन्हें उच्च दबावग्रस्त समूह में रखा गया जबकि निम्न समूह में उन छात्राध्यापकों को रखा गया जिनके अंक 87 या इससे कम थे।

प्रदत्त विश्लेषण व निर्वचन :-

उच्च व निम्न दबावग्रस्त समूह वाले शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों के मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति पर प्राप्त अंकों के मध्यमानों की तुलना हेतु 'टी' अनुपात की गणना की गई।

तालिका-1

उच्च व निम्न दबावग्रस्त शिक्षक-प्रशिक्षणार्थी समूहों के मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति अंकों में अन्तर दर्शाते मध्यमान, मानक विचलन व टी-अनुपात

क्रमांक	समूह	एन	मध्यमान	मा० विचलन	मानक त्रुटि	टी
1.	उच्च दबावग्रस्त शिक्षण-प्रशिक्षणार्थी	26	132.5000	13.9750	2.7407	
2.	निम्न दबावग्रस्त शिक्षण-प्रशिक्षणार्थी	26	128.0385	16.4158	3.2194	1.05*

*05 स्तर पर सार्थक नहीं

तालिका-1 से स्पष्ट है कि टी-अनुपात का मान 1.05 है, जो .05 स्तर पर सार्थक नहीं है (स्वतंत्र्याश = 50)। अतः यह परिकल्पना कि उच्च व निम्न दबावग्रस्त शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों के मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है, स्वीकार्य है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च व निम्न दबावग्रस्त शिक्षक-प्रशिक्षणार्थी मानवाधिकार के प्रति समान अभिवृत्ति रखते हैं। बी. एड. के पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों से सम्बन्धित पाठ्य विषय को रखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके प्रभाव से शिक्षक प्रशिक्षणार्थी मानवीय संवेदनाओं के प्रति अधिक सहिष्णु हो गए हैं जिससे उनके ऊपर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फलतः उच्च व निम्न दबावग्रस्त छात्राध्यापकों में मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति में समानता होना स्वभाविक है।

सन्दर्भ :-

- कोलमैन, जे. सी. (1976), *ऐबनॉर्मल साइकोलाजी एण्ड मॉडर्न लाइफ*, डी. बी. तारापोरेवाला सन्स एण्ड कं. मुम्बई।
- गुप्ता, अनिल व टेकचन्दानी, विनोद (2004), *21वीं शताब्दी में मानवाधिकार शिक्षा – महत्व व आवश्यकता*, भारतीय आधुनिक शिक्षा एन. सी. ई. आर.टी. नई दिल्ली, 22(3), 36
- छाबड़ा, प्रेम व पारेख, प्रेमलता (2004), *मानवाधिकार शिक्षा-क्यों और कैसे*, भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली 22(3), 49
- पाठक, इन्दु (2005), *शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण*, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 51(11), 3
- एस. सी. ई. आर. टी. (1992), *बलाघात*, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग (मनोविज्ञानशाला) एस. सी. ई. आर. टी., उ.प्र., इलाहाबाद।